



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

No. 06]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2018

का.आ. 06(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
461	744ए	तमिलनाडु राज्य में आलमपट्टी के निकट रारा-744 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर वदागरई, नेदूममादुरई, ईलियारपाथी, ईरूक्कीलाईवेल्लूर, कोंडागई, मनलूर, कुन्नाथूर, परयानकुलम, थमराईपट्टी, ईरानियम, उसीलामपट्टी, कुलामंगलम, कलवेल्लीपट्टी, टाटामपट्टी को जोड़ने वाला और वाड़ीपट्टी के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग (मदुरई रिंग रोड)।
462	948ए	कर्नाटक राज्य में दोबासपेटे (मन्ने) के निकट रारा-648 और रारा-48 के अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नीजागल, केंगल, गुडेमरानाहल्ली, हरथी, मेलाहल्ली, हुलीकेरेगुन्नूर, रायसंदरा, बनवासी, थोकासंदरा से तमिलनाडु राज्य में अचेत्तिपल्ली, अलूर को जोड़ने वाला कर्नाटक राज्य में सरजापुर के निकट रारा-648 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग (वैंगलुरु रिंग रोड)।

[फा. सं. एनएच-14012/27/2014-पीएंडएम (पार्ट-8)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या 3708 दिनांकित 05.12.2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2018

S.O. 06(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
461	744A	The highway starting from its junction with NH-744 near Alampatti connecting Vadagarai, Nedummadurai, Eliyapathi, Erukkilavellur, Kondagai, Manalur, Kunnathur, Parayankulam, Thamarapatti, Iraniyam, Usilampatti, Kulamangalam, Kalvellipatti, Tatampatti and terminating at its junction with NH-44 near Vadipatti in the State of Tamil Nadu (Madurai Ring Road)
462	948A	The highway starting from its junction of NH 648 & NH-48 near Dobaspete (Manne), Nijagal, Kengal, Gudemaranahalli, Harthi, Melahalli, Hulikeregunnur, Rayasandra, Banavasi, Thokasandra in the State of Karnataka connecting Achettipalli, Alur in the State of Tamil Nadu and terminating at its junction with NH-648 near Sarjapur in the State of Karnataka (Bengaluru Ring Road)

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M (Pt-8)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot Note : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notification No. 3708, dated 05.12. 2017.